


फद अहकाम

रामनारायण के बनाम लक्ष्मीनाथ के

57 उपखण्ड अधिकारी जमशारामगढ़

147/22

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/11/22	<p>बत्रावली पेश हुई आवेदकता सच द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार करने के लिये पत्रावली दिनांक 07/11/22 पेश हुई</p>	
07/11/22	<p>बत्रावली पेश हुई आवेदकता सच द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार करने के लिये पत्रावली दिनांक 09/11/22 पेश हुई</p>	
09/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपख वकील जार्जी के बहस हेतु निर्देश किया वकील जार्जी जार्जी की बहस चुनी। वकील जार्जी की बहस करने के पत्रावली को अपलोकन करने पर जार्जीगठने के जो पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act. मौखिक नहीं होने के कारण उपखण्डों के आदेश पर शारीर किया जाता है। तथा जार्जीगठने को डूट दी जाती है कि अपल खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर नया जार्जीना पत्र पेश कर सकते हैं। पत्रावली केमल शुभाट होकर नम्बर ले कर ले। बाद प्रति काकेल उपर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जमशारामगढ़ </p>	